तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम तुलसीदास गंगवानी प्रार्थना पत्र संख्या 07/2022 अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम ।	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-12-21	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण मे तहसीलदार लूणी द्वारा पेश किया गया जिससे कार्यालय समय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किया गया समन जारी करने के पश्चात अप्रार्थी की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अपने जवाब में कथन किया गया कि ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी के खसरा नम्बर 667/28 रकबा 3.8271 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी द्वितीय में आज दिनांक तक स्थगन आदेश प्रभावी है। उक्त भूमि में अधोहस्ताक्षरकर्ता, पटवारी कांकाणी एवं खनिज कार्यदेशक के साथ दिनांक 16.12.2021 को मौका निरीक्षण किया गया। वक्त मौका मुआयना उक्त खसरे में जिसमें 0.32 हैक्टेयर भूमि में खनन होना बताया गया। जो अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से खनन कार्य नही किया गया है और न ही मुझे इसकी कोई जानकारी है। इस संबंध में नोटीस प्राप्त होने पर मुझे खनन होने की जानकारी मिली। इस भूमि पर मेरे द्वारा किसी प्रकार का अकृषि प्रयोजन कार्य नहीं किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा मौजूदा प्रकरण की शीघ्र सूनवाई हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने स्वास्थ्य कारणों एवं उम्र का हवाला देकर जल्द सुनवाई हेतू निवेदन किया गया है साथ ही प्रकरण में स्थगन आदेश निरस्त कर विरूद्व धारा 177 की कार्यवाही निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी के विरूद्व पेश किया गया धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण नही बनता है। अत तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थी के जबाव के तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होने से खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में अपनी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का अवैध खनन नही करे अथवा किसी अन्य के द्वारा भी नहीं करवाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	